

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
कार्यालय आदेश

अधिसूचना सं०-३/स्था०अ०अ० (संविदा)-०१/२०१३-³⁷²(३)/रा०. दिनांक-०१/१०/२०१३

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, २०११ के आलोक में राज्य के सभी जिलों में भू-अभिलेखों के अद्यतीकरण/सर्वेक्षण कार्यक्रम को समय-सीमा के अंदर संपादित कराने हेतु विभाग द्वारा गठित त्रिसदस्सीय समिति से अनुशासित निम्नांकित सेवानिवृत्त कर्मियों को सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के पद पर विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-९७९ दिनांक-२०.०६.२०१२ के आलोक में कुल २००००/- (बीस हजार) रूपये निर्धारित मासिक मानदेय पर संविदा के आधार पर बन्दोबस्त कार्यालय में योगदान की तिथि से अगले एक वर्ष अथवा ६५ वर्ष की उम्र जो पहले घटित हो, तक के लिए नियोजित कर कॉलम-५ में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	आवेदक का नाम/पिता का नाम/पत्राचार का पता	जन्म तिथि	आरक्षण कोटि	पद एवं पदस्थापन स्थान
१	२	३	४	५
१	श्री संजय नारायण सिंह पिता-स्व० महेश्वर सिंह, राहुलनगर, पो०-एम०आई०टी०, जिला-मुजफ्फरपुर	१५.०१.५२	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय बेगूसराय
२	श्री इन्दुभूषण पिता-स्व० श्याम नारायण ठाकुर शांति निकेतन, सी०पी० ठाकुर पथ, इस्ट शिवपुरी, बोरिंग रोड, पटना	२७.०१.५३	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय बेगूसराय
३	श्री जगनारायण राम पिता-स्व० मानिक चन्द्र राम मुहल्ला-आजादनगर, दीघा बगीचा, पो०-दीघाघाट, पटना	३०.०९.५०	अनु०जाति	बन्दोबस्त कार्यालय लखीसराय
४	श्री महेन्द्र प्रसाद चौधरी पिता-स्व० हीरा लाल चौधरी, द्वारा-दिलीप कुमार सिन्हा, राजा एस०एन० रोड, मशाकचक, प्रधान डाकघर, भागलपुर	०१.०८.५१	अनु०जाति	बन्दोबस्त कार्यालय जमुई
५	श्री रामबली सिंह, पिता-स्व० रामपदार्थ सिंह, श्रीराम नगर कॉलोनी, पो०-एम०आई०टी०, जिला-मुजफ्फरपुर	१४.०१.५१	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय जमुई
६	श्री देव चन्द्र कुमार पिता-स्व० महादेव कुमार, बाबू साहेब कॉलोनी, लहेरिया सराय, बार्ड नं०-४६, दरभंगा	०१.०७.४९	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय जमुई
७	श्री राम कृष्ण प्रसाद पिता-स्व० योगेन्द्र प्रसाद ठाकुर, रामा कृष्ण प्रसाद द्वारा श्री चन्द्रिका पाण्डेय, ए/४८, अलकापुरी, गर्दनीबाग, पो०-अनिसाबाद, पटना।	०३.०१.५२	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय सीवान
८	श्री अशोक कुमार सिन्हा पिता-स्व० उमाशंकर प्रसाद, ३०४ एस०एल० एपार्टमेन्ट (बलदेव भवन बगल में), पुनाईचक, पटना	०३.०८.४९	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय सीवान
९	श्री रमेश प्रसाद शर्मा पिता-स्व० अर्जुन शर्मा, चितरंजन रोड, के०एस०एस० कॉलेज के निकट, लखीसराय	१९.११.४९	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय सीवान
१०	श्री एम० एहसान हैजाजी पिता-स्व० हाजी मो० मदनी,	१०.०४.५२	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय कटिहार

	मुहल्ला-रहमगंज पश्चिमी (नाईस टिटोरियल के पीछे) पो-लालबाग, दरभंगा			
11	श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र पिता-स्व० बैजनाथ मिश्र, बी०-25 सोम बिहार, बरियातु, एस०आर० आई० के उत्तर, आर०एम०सी०एच० उप डाकघर, बरियातु, राँची।	10.01.52	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय कटिहार
12	श्री दिवाकर सिंह पिता-श्री मुन्दर सिंह, ग्रा०+पो०-धेउरा, भाया-अंबा, जिला-औरंगाबाद	16.07.51	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय कटिहार
13	श्री अजीत कुमार तिवारी पिता-स्व० कृष्ण कुमार तिवारी, द्वारा-डॉ० सितीन्द्र कुमार त्रिपाठी, इन्द्रपुरी, 6/14, पो०-कैसरीनगर, पटना	05.10.52	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय मोतिहारी
14	श्री वेदानंद प्रसाद प्रभाकर पिता-स्व० जयलाल दास, 204, एस०एल०, अपार्टमेंट, पुनाईचक, पो०-शास्त्रीनगर, जिला-पटना-23	08.12.50	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय बेगूसराय
15	श्री अरविन्द कुमार सिंह पिता-स्व० रामनरेश सिंह, ग्राम+पो०-बेनीपुर, थाना-बहेड़ा, जिला-दरभंगा	07.05.50	सामान्य	बन्दोबस्त कार्यालय लखीसराय

2. उपर्युक्त चयनित कर्मियों का अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक होगी। इनके कार्यों की समीक्षा इनके नियंत्रि पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी। नियंत्रि पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर आवश्यकतानुसार इनकी सेवाएँ विस्तार 2014-15 तक के लिए की जा सकती है।

3. इनके द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा समय-समय पर इनके नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। अगर इनका कार्य संतोषजनक नहीं हुआ तो बिना किसी कारण पृच्छा किये इन्हें उक्त पद एवं कार्य से विमुक्त कर दिया जायेगा।

4. संविदा पर नियोजित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान वजट मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-102-सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य-उप शीर्ष-0101-सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण-माँग सं०-40-विपत्र कोड-P-2029001020101 राज्य योजना स्कीम कोड-REV-5536 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।


5. संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ अनुबंध किये गए कर्मी अपने पदस्थापन स्थल एवं पद पर सात दिनों के अन्दर योगदान समर्पित करेंगे।

6. अनुबंध किये जाने के उपरान्त बन्दोबस्त कार्यालय में योगदान की तिथि से मासिक मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

7. अनुबंधित पदाधिकारी योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे।

8. इन्हें सरकारी कर्मियों को देय कोई सुविधा अनुमान्य नहीं होगी तथा मानदेय के अतिरिक्त कोई राशि अनुमान्य नहीं होगी।

9. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जायेगा।


(शशि भूषण तिवारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-3/स्था0अं0अ0 (संविदा)-01/2013-312 (3)/रा0, दिनांक-01/10/2013

7 FAT

प्रतिलिपि:-सचिव-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, पटना/सम्बन्धित समाहर्ता /बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, खगडिया, सीवान, मोतिहारी, लखीसराय एवं जमुई/प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, खगडिया, सीवान, मोतिहारी, लखीसराय एवं जमुई/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, खगडिया, सीवान, मोतिहारी, लखीसराय एवं जमुई/सभी सम्बन्धित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुरोध है कि सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों की कार्यों की समीक्षा कर विभाग को समय-समय पर प्रतिवेदित करेंगे।



(शशि भूषण तिवारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-3/स्था0अं0अ0 (संविदा)-01/2013-312 (3)/रा0, दिनांक-01/10/2013

प्रतिलिपि:-आई0टी0, मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाइट upload करने हेतु प्रेषित।



(शशि भूषण तिवारी)
सरकार के संयुक्त सचिव